ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा

सुशील चन्द्र

प्रवक्ता, बी0एड0 विभाग, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी (बाँदा), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से सम्बद्ध, उ0प्र0

मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों में से संसार की श्रेष्ठतम कृति है वह अन्य प्राणियों की तुलना में सबसे बुद्धिमान व गुणवान है इसका प्रमुख कारण है – उसका शिक्षित, जिज्ञासु एवं चिन्तनशील होना। अतः प्रत्येक प्राणी का यह सौभाग्य होगा कि उसे मानव का जन्म प्राप्त हो। जीवन और शिक्षा का घनिश्ट सम्बन्ध होता है। जीवन के विकास में शिक्षा के विषेश योगदान होने से उसका अधिक महत्त्व माना जाना स्वाभाविक है। व्यक्ति को अपना जीवन सुचारू रूप से व्यवस्थित व क्रियान्वित करने के लिए समाजरूपी वातावरण में अपने को अनुकूल बनाना पड़ता है और समाज की नैतिक जिम्मेदारियों व कर्त्तव्यों का पालन कर वह अपने जीवन के चहुँमुखी विकास के साथ समाज देश तथा विश्व के विकास में योगदान करता है। f" ाक्षा इन सभी में उनका मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करती है। जिस देश व समाज का जैसा वातावरण होता है शिक्षा का वैसा रूप निर्धारित होता है। आज के प्रतियोगिता के युग में एक अशिक्षित व्यक्ति केवल मजदूरी पर निर्भर रहता है जबकि एक शिक्षित नागरिक अपने साथ–साथ परिवार, समाज एवं राश्ट्र के विकास में भी योगदान देता है। शिक्षित वर्ग ही आज के समय में राश्ट्र व समाज के सिरमौर व कर्णधार है।

प्राथमिक शिक्षा एक मूल अधिकार

आज विश्व एक ''विशाल आधुनिक सभ्यता'' के आँचल में प्रगतिशील है उसमें विकास रूपी लहरें सदा गतिमान है। इसका प्रमुख कारण है कि शिक्षा का अधिकाधिक विकास एवं उसका समृद्ध होना। जिस दे" ा में f" ाक्षा का विकास जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक उन्नत" ील होगा। शिक्षा का मजबूत आधार प्राथमिक स्तर को माना जाता है जिस प्रकार एक बड़े वृक्ष को सीधा खड़े रहने के लिए यह आव" यक है कि उसकी जड़ें मजबूत हो उसी प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्राथमिक स्तर को मजबूत बनाना आवश्यक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान भारत ने भी बालकों एवं बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। इसीलिए ''संविधान सभा'' ने जिसे संविधान तैयार करने का कार्य सौंपा और घोशित किया – राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्श के अन्दर सब बच्चों के लिए, जब तक वह 14 वर्श की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेश्टा करेगा। 1950 के भारतीय संविधान के एक नीति निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार 14 वर्श तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था 10 वर्श के अन्दर हो जानी चाहिए थी। किन्तु यह लक्ष्य 10 वर्श के बाद भी प्राप्त नहीं किया गया। अपितु सातवीं पंचवर्शीय योजना (1985–90) के अन्त तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का नि" चय किया गया परन्तु हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि सातवीं पंचवर्शीय योजना के बाद अब तक भी यह लक्ष्य प्राप्त नहों किया जा सका है। सन् 1993 के ''डननीकृ' णन केस'' पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देते हुए संसद में 28 नवम्बर 2001 को तत्सम्बन्धी विधेयक पारित किया और राज्य सभा में उसे 14 मई 2002 को मंजूरी मिली। 27 नवम्बर 2002 को इस विधेयक को काननू का दर्जा प्राप्त हो गया जिसके सम्बन्ध में कहा

www.ijahms.com

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

गया कि ''अब राज्यों का यह कर्त्तव्य है कि 6 से 14 वर्श आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें।'' इस प्रकार हम इस निश्कर्श पर पहुँचते हैं कि संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा भी अन्य मौलिक अधिकारों के समान एक मूल अधिकार है। देश के सभी 6–14 वर्श वर्ग के बच्चों की आशाओं की आधारशिला है। संविधान के अनुच्छेद 21क के तहत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार ''राज्य 6 से 14 वर्श तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध करेगा।''

प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षा :–

प्राचीन भारत में औपचारिक रूप से प्राथमिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी बल्कि पारिवारिक रूप से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। वैदिक काल में बालक के विद्या प्रारम्भ करने का एक औपचारिक संस्कार होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते है उपनयन का अर्थ होता है – पास ले जाना। अर्थात् बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना। इस काल में उचित समय पर गुरूकुल में जाकर विद्याध्ययन प्रारम्भ करने पर विषेश बल दिया जाता था। ब्राह्मण बालक सामान्यतः 8 वर्श की आयु में बसन्त ऋतु में क्षत्रिय बालकों का 10 वर्श की आयु में तथा वैश्य बालकों का उपनयन संस्कार सामान्यतः 12 वर्श की आयु में होता था। वदिक कालीन शिक्षा में गुरू शिष्य का सम्बन्ध पिता–पुत्र के समान था।

बौद्ध काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों का मठों में प्रवेश हेतु प्रवज्या या प्रबज्जा संस्कार होता था प्रबज्जा का भााब्दिक अर्थ होता है – बाहर जाना अर्थात् शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर जाना सामान्यतः 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बालक को प्रबज्जा संस्कार के लिए ले जाया जाता था। प्रबज्जा प्राप्त करने के लिए माता–पिता की अनुमति आव" यक थी छात्रगण सामान्यतः 12 वर्ष तक बौद्ध मठों में अध्ययन करते थे बौद्ध मठों के द्वार सभी वर्गों के लिए खुले रहते थे तथा जाति का कोई बन्धन नहीं था। बौद्ध कालीन शिक्षा में शिक्षा संस्थाओं का संगठन प्रजातांत्रिक था जो कि आज के लिए ग्रहणीय है।

मुस्लिम कालीन शिक्षा में ''बिस्मिल्लाह–खानी'' की रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा आरम्भ करता था यह रस्म उस समय होती थी जब बालक 4 वर्श 4 माह और 4 दिन का होता था रस्म के समय बालक के लगभग सभी सम्बन्धी उपस्थित रहते थे। इस समय प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केन्द्र मकतब थे। अतः बालक नये वस्त्र धारण कर मौलवी साहब के समक्ष मकतब में उपस्थित होता था। मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ते थे और बालक से केवल ''बिस्मिल्लाह'' कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी गुरू–शिष्य सम्बन्ध घनिश्ठ थे पर अन्तिम काल के वर्षों में यह सम्बन्ध मधुर नहीं रह गये। कक्षा नायकी प्रणाली का विकास हुआ।

ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास हुआ ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और इनमें क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था भाुरू की। 1698 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एक आदेश जारी किया जिसमें उसे भारत में शिक्षा के प्रचार एवं प्रचार की आज्ञा प्रदान की और साथ ही इस पर व्यय करने का अधिकार प्रदान किया। राजा राम मोहन राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे उन्होंने 1819 में कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना की जिसने कलकत्ता क्षेत्र में अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम की अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा का विकास प्रारम्भ किया। चार्ल्स वुड, हण्टर आयोग, वर्धा शिक्षा योजना, सर्जेन्ट योजना 1944 आदि आयोगों ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया तथा विकास में योगदान किया। सन् 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया परन्तु उसके लिए प्रयत्न करने का आश्वासन अवश्य दिया सातवीं पंचवर्शीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर विषेश बल

दिया गया। 1986 में राश्ट्रीय शिक्षा नीति की घोशणा को इस राश्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को राश्ट्रीय ध्येय के रूप में स्वीकार किया गया। इस योजना के दौरान प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए 1987–88 में ''ब्लैक बोर्ड योजना'' शुरू की गई। 1990 में थाइलैण्ड में ''सबके लिए शिक्षा'' पर विश्व कान्फ्रेन्स हुई इसमें भारत ने भी भाग लिया। 1994 में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में ''जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'' भ्शुरू किया गया। 15 अगस्त 1995 को ''पौष्टिक आहार सहायता का राश्ट्रीय कार्यक्रम'' भ्शुरू किया गया। इसे सामान्यतः ''मध्यान्ह भोजन योजना'' कहते है। जनवरी 2001 में ''सर्व शिक्षा अभियान'' शुरू किया गया। इस प्रकार से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाये जाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है। परन्तु फिर भी प्राथमिक शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं न कहीं अछूती रह गयी है।

निष्कर्ष :–

सम्पूर्ण निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान के द्वारा सभी भारतीयों को प्रदत्त है शिक्षा मानव समाज की कुंजी है और प्राथमिक शिक्षा इस विकास का आधार है। राज्य सरकारों पर 6–14 वर्श तक के आयु समूह के बच्चों की शिक्षा का दायित्व है परन्तु प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सामूहिक (राज्य प्रशासन समुदाय व अभिभावक) उत्तरदायित्व के द्वारा जन चेतना जागृत किया जाय तथा प्रत्येक बालक 14 वर्ष आयु तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाय देखना यह है कि कहीं ऐसा न हो कि अभिभावकों व समुदायों की लापरवाही के कारण ये नैनिहाल राष्ट्र के विकास की दौड़ में पीछे न रह जाये और अपने मूल अधिकारों के प्रति उदासीन रहें हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत में नागरिकों को शिक्षा के अतिरिक्त भी पाँच अन्य मूल अधिकार प्राप्त हैं परन्तु 80 प्रतिशत जनता उन अधिकारों के प्रति उदासीन व अनभिज्ञ है। इस दिशा में प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित किया जाना स्वागत योग्य है। अब राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह घोषणा को सार्थक रूप से प्रचारित व कार्यान्वित करे।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ सूची</u>

i. ''भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ'' रमनबिहारी लाल, कृष्णा कान्त शर्मा.

ii. ''भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास'' कर्ण सिंह

iii. ''तुलनात्मक शिक्षा की समीक्षा'' सरयू प्रसाद चौबे

iv. ''उदीमान भारतीय समाज में शिक्षक'' रामसकल पाण्डेय

v. ''शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त'' पाठक एवं त्यागी

vi. ''भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ'' डॉ0 सीताराम जायसवाल

www.ijahms.com